

दिनांक-08.07.2026 को अपर सचिव (वरीय प्रभारी विधि प्रशाखा), भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में V.C. के माध्यम से विभाग के सभी न्यायालय वार्दों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) एवं सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

अपर सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से संबंधित सभी न्यायालय वार्दों पर V.C. के माध्यम से निम्नांकित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये:-

- (i) अपर सचिव के द्वारा V.C. में भाग ले रहे सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया ^{जाय} ~~गया~~।
- (ii) अपर सचिव ने जानकारी दी कि न्यायालय वार्दों के अंतर्गत CWJC, MJC, विवाचनवाद, Request case, Execution case, LPA, Civil Review एवं S.L.P. आते हैं।
- (iii) सभी कार्यपालक अभियंता अपने-अपने कार्यालय में यह जाँच कर लें कि उनके कार्यालय से संबंधित कितने वाद न्यायालय में चल रहे हैं एवं कितनों में आदेश पारित है। जिन मामलों में आदेश पारित है उसके अनुपालन की क्या स्थिति है? अन्य मामलों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई तुरंत किया जाय।
- (iv) सभी विवाचनवाद की सूची तैयार कर अद्यतन स्थिति के साथ विधि प्रशाखा को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। साथ ही पैनल अधिवक्ता से सम्पर्क कर उनके विमर्शानुसार अग्रोत्तर कार्रवाई की जाय।
- (v) सभी कार्यपालक अभियंता यह भी जाँच कर लें कि उनके कार्यालय से संबंधित कितने Execution case है तथा उनकी अद्यतन स्थिति क्या है। Execution Case (इजरायवाद) में ससमय कार्रवाई नहीं होने से सरकार को सूद की राशि का भुगतान करना पड़ता है जिससे सरकार के उपर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है।
- (vi) विवाचनवाद सं०-12/2020, 13/2020 एवं 14/2020 देव कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य किस प्रमंडल से संबंधित है। वहाँ के कार्यपालक अभियंता पैनल अधिवक्ता श्री अमीश कुमार से अविलंब सम्पर्क करें।
- (vii) बैठक के दौरान यह भी निदेश दिया गया कि विवाचनवाद की पैरवी हेतु तैयार पुराने पैनल के अधिवक्ता श्रीमती अलका वर्मा एवं श्री विन्ध्याचल राय के यहाँ से विवाचनवाद से संबंधित संचिका को अविलंब प्राप्त कर वर्तमान पैनल अधिवक्ता श्री अमीश कुमार एवं श्री अपूर्व कुमार को हस्तगत कराएं।
- (viii) किसी भी न्यायालय वाद में किसी भी तरह की अस्पष्टता हो, तो विभागीय विधि पदाधिकारी से सम्पर्क कर सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
- (ix) यह स्पष्ट किया गया कि यदि माननीय न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, रिव्यू, एल०पी०ए०, एस०एल०पी० आदि दायर करना है, तो आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अपने अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय अन्यथा आदेश का पालन किया जाय।

- (x) सभी कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों की न्यायालय वार्दों की समीक्षा साप्ताहिक रूप से करें।
- (xi) माननीय न्यायालय के आदेश पर ससमय यथोचित कार्रवाई नहीं किये जाने पर अथवा आदेश/अवार्ड पर यथोचित कार्रवाई नहीं करने पर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक-भवन/विधि/विविध-18/2024.....6266 (1)

पटना, दिनांक- 9/7/24

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) एवं सभी कार्यपालक अभियंता(विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

भवन निर्माण विभाग, पटना।

Q